

प्रेम देवी वरुण वनाम श्रीता देवी वरुण

किस्म मुकदमा 53/188 नं 99/सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जी इस हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>वादी/वादीगण की ओर से वादपत्र वकील श्री <u>अपेक्षित</u> द्वारा विरुद्ध प्रतिवादी/प्रतिवादीगण पेश किया गया। अतः वादी/वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादी/प्रतिवादीगण <u>श्रीता देवी वरुण</u> अन्तर्गत धारा <u>53/188</u> राजस्थान कायदाकारी अधिनियम, 1955 के तहत दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक <u>24/9/2019</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)</p>	<p>14/9/2019</p>
<p>24/9/2019</p>	<p>पत्रावली पेश हुई वादी व वादी उपा। पूर्व आदेश की पालना में सम्मन नोटीस कडाफा। अतः इन्तजाह हेतु आग्रह कि 21/11/2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)</p>	
<p>22/10/2019</p>	<p>वादी के प्राप्ति पर पत्रावली काउ डि 22/10/2019 को पेश हुई। वकील वादी उपा। प्रतिवादीगण से। खेलागत से की ओर से वकील श्री जसवन्त सिंह सारवला ने वकालतनामा पेश किया जो शा. सि. हा. वादीगण से प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि राजीनामा अनुवाद वाद डि. की किया जावे। हमें कोई उजर क्षरज नहीं है। राजीनामा समील मिल कि प्र. ग. प्र.</p>	

हमने पत्रावली राजीनामा एच वसुलाकर के
कंपनी का बारीकी से मगन किया।

राजीनामा अनुसार वाक डिक्ली कि प्रक जागर
स्थापित समझते हैं अतः वादी का वाद
राजीनामा अनुसार डिक्ली कि प्रक जागा है।

विस्तृत निर्णय क डिक्ली प्रथक से लिख
जाकर शा. कि. हो पालनाथ राहरी (तहसील
शामपुर) को जारी है। पत्रावली फोनल शुमार
होकर ५७ नम्बर से कम है।

✓
अखण्ड अफसर
(अ)

